

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 36/2022

जी.सी.एम.एस. :: 2022/150

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		1 मृतक गंगाविशन पुत्र ओगड के का.मु.- 1.1 शैतानसिंह पुत्र गंगाविशन 1.2 तुलसीदेवी पत्नी गंगाविशन 1.3 संतोष देवी पुत्री गंगाविशन 1.4 कंचनदेवी पुत्री गंगाविशन 1.5 पिस्तादेवी पुत्री गंगाविशन, जातिगण दिसान्तरी निवासीगण आउवा 2 मृतक भंवरलाल पुत्र ओगड के का.मु. - 2.1 जीतु पुत्र भंवरलाल 2.2 पिन्दु पुत्र भंवरलाल 2.3 उमराव पत्नी भंवरलाल 2.4 दरिया पुत्री भंवरलाल 2.5 कमला पुत्री भंवरलाल 2.6 ललिता पुत्री भंवरलाल, जातिगण दिसान्तरी निवासीगण आउवा 3 पानी बाई पत्नी मनरूप राम देवासी साकिन देवली तहसील मारवाड़ जंक्शन



“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा, तरुण उपाध्याय।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के का. मु. बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध

अति. जिला कलेक्टर, पाली

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थी 03 की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम आउवा की मिसल बन्दोबस्त सम्बत् 2010 के अनुसार गत खसरा संख्या 1744 की किस्म गै.मु.नदी थी, जिसके हाल खसरा संख्या 2199/2, 2246 जिसका रकबा 0.2530 हैक्टेयर एवं 1.6493 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि अप्रार्थी संख्या 03 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नदी थी, जिसे भू प्रबन्धन के दौरान किस्म परिवर्तन कर खसरा नम्बर 2199/2, 2246 की गैर मुमकिन नदी से बा. अ. कर दी गई। जैर आराजी के संबंध में आवंटन/नियमन आदेश क्रमांक 957 दिनांक 17.03.1973 की पालना में आवंटी गंगाविशन पुत्र ओगड के पक्ष नामान्तरकरण संख्या 183 भरा गया। मूल आवंटी के गंगाविशन के फौत हो जाने से उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1632 भरा गया। उक्त आराजी का बेचान मूल आवंटी के वारिसान द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 1793 भर गया, जिसके अनुसार जैर आराजी पानी बाई पत्नी मनरूपराम देवासी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी गंगाविशन के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 183, 1632 एवं 1793 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस एवं लिखित जवाब में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। उक्त प्रकरण पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय दिनांक 02.08.2004 लागू नहीं होता है। जैर आराजी नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आती है अगर ऐसा होता तो उसी समय न्यायालय में रेफरेन्स पेश कर दिया जाता जो कि 22 वर्ष बाद किया गया जो केवल अप्रार्थीगण को जैर आराजी से बेदखल करने कि नियत से किया गया है जो काबिल खारिज योग्य है। उक्त आराजी के अलावा आसपास के खसरे भी द्वितीय सैटलमेण्ट के समय किस्म परिवर्तन कर वर्तमान स्थिति अनुसार कृषि भूमि के रूप में दर्ज कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में काश्तकारों के नाम दर्ज है। जैर आराजी पर अप्रार्थीगण लम्बे समय से खेती करते आ रहे है। प्रार्थी ने ऐसे कोई प्रमाण पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता है कि जैर आराजी नदी के बहाव क्षेत्र को बाधित करता है। नदी का बहाव क्षेत्र पुराने खसरा नम्बर 1952 वर्तमान खसरा नम्बर 2485 में रहा है जो वर्तमान में भी वही पर है। जैर आराजी करीबन 100 सालो से कृषि कार्य में उपयोग आती रही है। नदी, जैर आराजी से करीब 500 मीटर दुर बहती है। जिससे स्पष्ट होता है कि जैर आराजी नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। जैर आराजी का लम्बे समय से कृषि कार्य में उपयोग होने से

830

अति. जिल्हा क्लर्क, पाली

राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी का किस्म परिवर्तन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय पारित कर यह निर्देश जारी किये गये थे कि जिन भूमियों कि गलती से किस्म परिवर्तन हो गयी है उन्हें पुनः बहाल करना था, उक्त निर्णय में ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दिये गये हैं जो वादग्रस्त आराजी पर लागू होते हैं। अप्रार्थीगण को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का आवंटन/नियमन सम्बन्धित आवंटन कमेटी द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवंटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व गैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकॉर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दायम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत आवंटन होने के पश्चात् उनके द्वारा हजारों रुपये खर्च कर जीवन निर्वाह हेतु उक्त आराजी को एक मात्र साधन/स्रोत बनाया है, आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू-प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरुद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नदी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम आउवा, तहसील रानी की जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 2199/2 एवं 2246 किस्म बारानी अब्बल की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010 के अनुसार गत खसरा संख्या 1744 की किस्म गै.मु.नदी थी, जिसके हाल खसरा संख्या 2199/2, 2246 रकबा 0.2530 हैक्टेयर, 1.6493 हैक्टेयर किस्म बा.अ. है। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नदी थी तथा भू प्रबन्धन के दौरान उक्त भूमि खसरा नम्बर 2199/2, 2246 की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन नदी से बा.अ. कर दी गई। जैर आराजी के संबंध में आवंटन/नियमन आदेश 957 दिनांक 17.03.1973 के द्वारा जैर आराजी गंगाविशन, भवंरलाल पुत्र ओगड़ जाति देसान्तरी के पक्ष में आवंटित की गई, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 183 के द्वारा आवंटी को जैर आराजी में खातेदार दर्ज किया गया। साथ ही ग्राम आउवा के नामान्तरकरण संख्या 183 के अनुसार भी पुराना खसरा संख्या 1744 की किस्म नदी थी, जिसमें से जैर आराजी की भूमि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित की गई। इसी प्रकार ग्राम आउवा के भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी



सम्बत् 2029 से 2048 के अनुसार भी खसरा संख्या 1744 की किस्म गौ.मु.नदी दर्ज है। मूल आवंटी गंगाविशन फौत हो जाने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1632 स्वीकृत किया गया तथा गंगाविशन के वारिसानों द्वारा जैर आराजी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 3 पानीदेवी पत्नी मनरूपराम देवासी के पक्ष में किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 1793 दिनांक 15.03.2011 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकदमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गौमु0 नदी दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच. सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण एवं इसके पश्चात्त्वर्ती नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व (ग्रुप-7) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक-प3(146) राज-7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है - where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. अधिवक्ता अप्रार्थी का दौरान बहस यह उज्र था कि हस्तगत प्रकरण 22 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि म्याद बाहर है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गौमु0 नदी से बा0अ0 दर्ज की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त रेफरेन्स मेन्टेनेबल है तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकार बनाम लट्टू, 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी-विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ- धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा



अति. जिला कलेक्टर. पाली

सकते-निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश कि पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 20.07.1977 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1632 दिनांक 23.07.2009, बेचान नामान्तरकरण 1793 दिनांक 15.03.2011 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम आउवा, तहसील रानी के खसरा संख्या 2199/2 एवं 2246 के सम्बन्ध में आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 20.07.1977 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण 1632 दिनांक 23.07.2009, 1793 दिनांक 15.03.2011 को अपास्त करते हुए जैर आराजी को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कर एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।



(Handwritten signature)

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली